Indian J. Soc. & Pol. 05(02):55-58:2018 **ISSN: 2348-0084(PRINT)**
UGC List No. 47956 (Till May 2,2018) **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

ज्ञान आधारित समाज के युग में भारत

जयकुमार मिश्रा[1a]
[a]अध्यक्ष,राजनीति विज्ञान विभाग, राजा हरपाल सिंह पी जी कालेज, सिंगरामऊ, जौनपुर, उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में 'ज्ञान आधारित समाज' (नॉलेज सोसाइटी) एक नए प्रभावकारी सम्प्रत्यय के रूप में उभर कर सामने आया है। यह सामाजिक संरचना, शैक्षिक वातावरण और औद्योगिक गतिविधियों के बीच उत्पन्न हुए शक्तिशाली सम्बन्धों का प्रतीक है। प्राचीनकाल में 'ज्ञान' को बड़ा ही अभिजात्य, पवित्र एवं गुप्त माना जाता था। समाज का एक बड़ा वर्ग जो शारीरिक श्रम पर जीवन–यापन करता था या जिनका काम समाज के अन्य वर्गों की 'सेवा' करना होता था, ऐसे लोगों के लिए 'ज्ञान' एक 'वर्जित क्षेत्र' था। भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था में 'शूद्र' वर्ण और यूनानी सामाजिक संरचना में 'दास' वर्ग की यही स्थिति थी, क्योंकि ये दोनों ही शारीरिक श्रम करके जीवन–यापन करते थे। ऐसे लोगों के साथ तत्कालीन समाज का व्यवहार भी 'अमानवीय' था। उन दिनों यह संकल्पना स्थापित कर दी गयी थी कि जो लोग 'ज्ञान' रखते हैं, वे शारीरिक श्रम नहीं कर सकते और जो लोग 'शारीरिक श्रम' करते हैं, उन्हें इतना अवकाश नहीं कि वे 'ज्ञान' प्राप्त करने की पहल कर सकें। मध्यकालीन यूरोप में 'ज्ञान' को इसाई धर्म के मान्य सिद्धान्तों के सीमित सन्दर्भ में ही देखा गया लेकिन जब धर्म सुधार आन्दोलन के बाद 'आस्था' का स्थान 'तर्क' ने ले लिया तब जाकर ज्ञान को एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक–राजनीतिक उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया और इसी आधार पर अनेक धार्मिक रीति–रिवाजों, प्रथाओं, परम्पराओं आदि का निषेध किया गया।

***KEY WORDS:** नॉलेज सोसाइटी, जीडीपी, पीपीपी,*

द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर वैश्विक वातावरण का संचालन धीरे–धीरे उन नए कारकों के हाथ में आ गया, जिनके पास 'व्यावसायिक कुशलता और तकनीक' का कुशल अभ्यास था, ऐसे लोगों को 'टेक्नोक्रेट' कहा जाने लगा। इन नए लोगों ने विनिर्माण क्षेत्र के साथ ही 'सेवा क्षेत्र' का विस्तार किया और उसे एक नया आयाम दिया, साथ ही 'पूँजी' को केवल 'धन–सम्पत्ति या भूमि संसाधन' की सीमित परिधि से बाहर लाकर उसे 'मानव संसाधन' की व्यापक परिभाषा के साथ जोड़ दिया। अब इस नए समाज में 'सेवा क्षेत्र' एक बड़ा निर्णयकारी क्षेत्र सिद्ध हुआ।

यदि देखा जाय तो प्राचीनकाल से लेकर आज तक के सम्पूर्ण इतिहास को आर्थिक विकास व प्रभुत्व की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

1. सभ्यता के प्रारम्भ से लेकर औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व तक 'प्राथमिक क्षेत्र' (कृषि और मत्स्य पालन जैसे प्रारम्भिक जीविकोपार्जी कार्य) का प्रभुत्व था, जिसमें समाज व राज्य की आर्थिक पहिचान व गतिविधियों का आधार कृषि क्षेत्र था, समाज के सभी लोग इससे जुड़े हुए थे। यह श्रमसाध्य कार्य है और यही जीविकोपार्जन का आधार था।

2. औद्योगिक क्रान्ति से लेकर लगभग 1970 ई० तक 'द्वितीयक क्षेत्र' अर्थात् उद्योग धन्धों का प्रभुत्व था। उत्पादन एवं वस्तुगत आयात–निर्यात ही आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र में था। समाज का एक बड़ा भाग इसमें संलग्न था, उद्योग धन्धों ने मानव श्रम के साथ ही 'पूँजी' की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की।

3. 1950 के दशक में जो वैश्विक परिवर्तन प्रारम्भ हुए, उन्होंने 1970 तक आते–आते सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया और अब उद्योग–धन्धों के साथ ही 'तृतीयक क्षेत्र' का उभार प्रारम्भ हुआ। यह 'सेवा क्षेत्र' था, जिसमें विभिन्न व्यावसायिक योग्यता प्राप्त कार्यकुशल व्यक्ति अपनी सेवाएं प्रदान करने लगे। यहाँ तक आते–आते 'श्रम' एवं 'पूँजी' का स्थान 'तकनीकी कार्यकुशलता, बौद्धिक प्रतिभा और व्यावसायिक प्रतिबद्धता' ने ले लिया।(टाफलर,1980) अब मनुष्य को भी मानवीय संसाधन के रूप में देखा जाने लगा। यही उत्तर औद्योगिक समाज है, जिसका आधार 'ज्ञान' आधरित मनुष्य और सेवाएं हैं, जो इसका नियंता है। 1969 में पीटर ड्रकर ने अपनी कृति 'द एज ऑफ डिस्कॉन्टिन्युटि' में लिखा है कि, 'ज्ञान' एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है जो मनुष्य इस संसाधन से युक्त होकर उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं वे 'ज्ञान कामगार' (नॉलेज वर्कर) हैं, आज के इस युग में उनकी माँग और उनके द्वारा किया जा रहा उत्पादन का काम निरन्तर बढता जा रहा है, जिससे आज की अर्थव्यवस्था 'नॉलेज इकोनॉमी' बन गयी है।

यूनेस्को ने 2005 में ज्ञान आधारित समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि ऐसा समाज तभी बनेगा, जब निम्नलिखित लक्षण उपलब्ध हों –सांस्कृतिक विविधताओं की उपस्थिति,

1: Corresponding Author

1. शिक्षा तक सभी की समान पहुँच,
2. सार्वभौमिक सूचना–प्रौद्योगिकी की प्रभावशाली उपस्थिति,
3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

वस्तुतः ज्ञान आधारित समाज में मानवाधिकारों की प्रत्याभूति, समान अवसरों की गारण्टी, विषमताओं का अन्त, अशिक्षा का समापन और 'अभिजन' की परम्परागत धारणा के अन्त के साथ ही समतावादी समाज की स्थापना आवश्यक है। ऐसे समाज की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

1. समाज के अभिनव मूल्यों का निर्धारण करने में सूचना एवं ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका का समावेश करने की पहल,

2. सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीक के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन और उन तक सभी की समान पहुँच,

3. शोध एवं विकास के क्षेत्र में सामाजिक पूँजी (मानवीय क्षमता) तथा आर्थिक पूँजी (वित्त) दोनों के ही स्तर पर भारी निवेश,

4. ज्ञान आधारित व्यापारिक गतिविधियों का तीव्र होना और

5. नेटवर्किंग का निरन्तर विस्तार होना।

यदि उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिवेश का विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि 1991 में नई आर्थिक नीतियों के आगमन के साथ ही भारत ने भी ज्ञान आधारित समाज की दिशा में कदम बढ़ाया है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया से जुड़ाव तथा इन नई परिस्थितियों में स्वयं को स्थापित करना तभी सम्भव हो सका, जब औद्योगिक वातावरण की माँग के अनुसार सामाजिक, आर्थिक एंव शैक्षिक परिवर्तन प्रारम्भ हुए। 01 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनने के बाद सरकार की उदारवादी नीतियों ने निजी क्षेत्र को भी उन उद्योगों में आकर सहभागिता का अवसर दिया, जो स्वतंत्रता के बाद से उस समय तक केवल 'सरकार' के लिए सुरक्षित थे। निजी क्षेत्र ने अपनी व्यावसायिक बुद्धि एवं प्रतिबद्धता के बल पर सफलतापूर्वक अपनी यात्रा प्रारम्भ की और आज सरकार स्वयं पी.पी.पी. मॉडल पर बल दे रही है और अपनी भूमिका केवल 'नियामकीय संस्थाओं' तक समेट रही है। 1993 के बाद जिस प्रकार समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक परिवर्तन भारत में हुए उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की रही है। भारत की जी.डी. पी. का यदि दशक वार विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रारम्भ से ही प्राथमिक क्षेत्र का दबदबा रहा है जो 1990 तक बना रहा। यदि 2000 ई0 के बाद से लेकर आज तक की जी.डी.पी. का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान निरंतर ह्रासोन्मुख है। 1950–51 में इस क्षेत्र का भारत की जी.डी.पी. में योगदान 51.81 प्रतिशत था जो 2014–15 में घटकर 17.90 प्रतिशत रह गया और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 1950–51 के 14.16 प्रतिशत से बढकर 2014–15 में 24.20 प्रतिशत हो गया लेकिन तृतीयक क्षेत्र की भूमिका 1950–51 के 33.25 से बढकर 2014–15 में 57.90 प्रतिशत हो गयी। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि, भारतीय समाज प्रारम्भ में श्रम आधारित था, आगे चलकर वह औद्योगिक समाज की ओर मुड़ा लेकिन उसका झुकाव सेवा क्षेत्र की ओर निरन्तर बढता गया और इसी का परिणाम है कि, आज भारत के सम्पूर्ण जी.डी.पी. में सेवा क्षेत्र लगभग आधे से अधिक का योगदान कर रहा ह और यही वह क्षेत्र है जो 'ज्ञान आधारित समाज' की नींव पर पल रहा है (देखें–सारणी 01)।

सारणी–1

स्वातंत्र्योत्तर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के प्रदर्शन का दशकवार विश्लेषण (प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र	तृतीयक क्षेत्र
1950–51	51.81	14.16	33.25
1960–61	42.56	19.30	38.25
1970–71	41.95	20.48	37.22
1980–81	35.39	24.29	39.92
1990–91	29.02	26.49	44.18
2000–01	23.02	26.00	50.98
2010–11	18.21	27.16	54.64
2013–14	18.20	24.77	57.03
2014–15	17.90	24.20	57.90

स्वातन्त्र्योत्तर भारत में आयात–निर्यात का दशकवार वर्णन हमारी अर्थव्यवस्था के विकास एवं उसके परिवर्तनशील स्वरूप की कहानी स्वयं कह रहा है (देखें–सारणी 02) –

सारणी–2

स्वातंत्र्योत्तर भारत में आयात–निर्यात का दशकवार विवरण (मिलियन डॉलर में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1950–51	1273	1269
1960–61	2353	1346
1970–71	2162	2031
1980–81	15869	8486
1990–91	24075	18143
2000–01	49975	44076
2010–11	369769	251136
2013–14	450068	312610
2014–15	4610000	316000

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कृषि क्षेत्र में सिमटते अवसरों तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में बढते तकनिकी रोजगार के अवसरों ने भारतीय अर्थ व्यवस्था को 'ज्ञान द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था' में ढाल दिया है, यदि इस नई व्यवस्था की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होगा कि देश की चुनिन्दा शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर अधिकांश अभी इस अर्थव्यवस्था के योग्य युवाओं का निर्माण करने में कम सक्षम हैं। अब भारतीय नीतिनिर्माता भी इस दिशा में सोचने लगे हैं और योजना आयोग जैसी शीर्षस्थ संस्था ने पहल भी शुरू की है। योजना आयोग ने जून 2001 में 'इंडिया ऐज नॉलेज सुपर पावर, स्ट्रेटेजी फार ट्रांस्फार्मेशन' नामक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उसने इस बात को स्वीकार किया कि, 21वीं सदी 'ज्ञान की सदी' होगी और केवल वही राष्ट्र सफलता प्राप्त करेंगे जो ज्ञान की विभिन्न धाराओं को आत्मसात कर सच्चे अर्थों में ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करने में सक्षम होंगे। इस रिपोर्ट में ज्ञान आधारित समाज के निम्नलिखित लक्षण बताए गए[5]–ज्ञान आधारित समाज वह है जिसके सभी घटक 'ज्ञान' का प्रयोग करते हैं और इसके द्वारा अपने लोगों को सशक्त व समृद्ध बनाते हैं, ऐसा समाज सामाजिक रूपान्तरण के लिए ज्ञान को एक सशक्त औजार के रूप में चुनता है,ऐसा समाज नित्य नव–प्रवर्तनों को प्रोत्साहित करता है क्योंकि यह सीखने हेतु उत्सुक समाज है, ज्ञान आधारित समाज में 'ज्ञान' को उत्पन्न करना, समाहित करना, आत्मसात करना और उसकी रक्षा करना लक्ष्य माना जाता है तथा यह इसका प्रयोग आर्थिक पूँजी तथा सामाजिक अच्छाइयों को समाज के प्रत्येक घटक तक पहुँचाने का प्रयास करता है, ऐसा समाज लोगों से मन, आत्मा एवं शरीर तीनों के ही स्तर पर जीवन के समग्र दृष्टिकोंण को समझने का आग्रह करता है।

इस प्रकार ज्ञान आधारित समाज एक ऐसी संकल्पना है जो कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों से अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है क्योंकि यह लोकतंत्र के आधुनिक दृष्टिकोंण 'समावेशी लोकतंत्र' का ही सामाजिक– आर्थिक–शैक्षिक पूरक बन जाता है। योजना आयोग के बाद भारत की शीर्ष औद्योगिक संस्था एसोचैम ने इस दिशा में सोचते हुए 2001 में 'प्रथम ज्ञान सहस्राब्दी सम्मेलन' आयोजित किया और 'ज्ञान आधारित समाज' के 5 एजेण्डे निर्धारित किए – एक ऐसी शिक्षा–व्यवस्था का ढाँचा तैयार करना, जो निरन्तर सीखने वाले समाज का निर्माण कर सके, वैश्विक नेटवर्क विकसित करना, नीति–निर्माण एवं क्रियान्वयन के स्तर पर सरकार, उद्योग–धन्धों तथा बौद्धिक केन्द्रों के बीच जीवंत सम्बन्ध स्थापित करना, सूचना–प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बायोटेक्नोलॉजी, औषधि निर्माण, आर्थिक सेवाओं और औद्योगिक प्रबन्धन जैसी सेवाओं की वर्तमान क्षमताओं का विस्तार एवं उन्नयन करना और आर्थिक एवं व्यापारिक रणनीतिक साझेदारियों का क्षमताओं तथा अवसरों के आधार पर निर्माण एवं विस्तार करना।

तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2005 में भारत में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई। इसमें अध्यक्ष सैम पित्रोदा सहित कुल आठ सदस्य थे। ज्ञान आधारित समाज के सन्दर्भ में इस आयोग को निम्नलिखित विषय सन्दर्भित किए गए –

1. शैक्षिक तन्त्र की गुणवत्ता को समुन्नत करते हुए उसे 21वीं सदी की ज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना,

2. तकनीक और विज्ञान की प्रयोगशालाओं में बदलती हुई परिस्थितियों में ज्ञान आधारित शोध पर बल देना,

3. संस्थाओं के प्रबन्धन को समुन्नत करते हुए उन्हें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से जोड़ना,

4. कृषि और उद्योगों में ज्ञान आधारित नीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और

5. प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करने हेतु सरकार की क्षमताओं को उन्नत करना, जिससे कि लोकहित में व्यापक रूप से ज्ञान सम्बन्धी सूचनाओं एवं संसाधनों का वितरण किया जा सके।

2000 ई० में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने एक विशेष अधिवेशन में 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य' निर्धारित कर यह प्रस्ताव पारित किया था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा समस्त अन्तर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का समग्र प्रयास करेंगे। ये लक्ष्य निस्सन्देह रूप से ज्ञान आधारित समाज की स्थापना में मूलभूत होंगे –अति गरीबी और भूख का उन्मूलन करना, सभी नागरिकों के लिए प्राइमरी शिक्षा सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना, बाल मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, एच०आई०वी०/एड्स, मलेरिया तथा इस प्रकार की खतरनाक बीमारियों से लड़ने का तंत्र विकसित करना, सतत् पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित करना,विकास के लिए वैश्विक सहयोग–तंत्र का निर्माण करना।

2000 ई० के बाद ज्ञान आधारित समाज के क्रियान्वयन की दिशा में भारत सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और उनका सकारात्मक परिणाम भी निकला है। 1994 ई० में 49.4 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी और 2011 ई० में केवल 24.7 प्रतिशत आबादी ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। 1951 से 1991 तक के 40 वर्षों में भारत में साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 52. 21 प्रतिशत तक हो गई और लगभग 34.00 प्रतिशत वृद्धि करने में 40 वर्ष लग गए और 1991 से 2011 के बीच (केवल 20 वर्षों में) साक्षरता दर लगभग 22 प्रतिशत बढ़ कर लगभग 74.00 प्रतिशत हो गयी है और इससे भी सकारात्मक आश्चर्य यह है कि स्त्री–पुरुष साक्षरता अनुपात अन्तर भी केवल अब 16.68 प्रतिशत रह गया है। इसी प्रकार बाल मृत्यु दर[6] भी 1991 में जहाँ 122.40

प्रति हजार थी, वह 2001 में घटकर 87.90 और 2011 में 57.50 बच्चे प्रति हजार तथा 2013 में घटकर 52.70 बच्चे प्रति हजार रह गयी है। इसी प्रकार मातृत्व मृत्यु दर[7] भी 1990 में 437 महिलायें, प्रति एक लाख महिलाओं पर था, वहीं 2001 से 2003 में औसतन 301 महिलायें और 2007–09 के बीच औसतन 212 महिलाएं और 2015 में (सम्भावित) 139 महिलाएं, प्रति एक लाख महिलाओं पर मातृत्व मृत्यु दर रही है। इसी प्रकार 2000 ई० के बाद पूरे देश में अलग–अलग जगहों पर अनेक आई०आई०टी० और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान खोले गए। 1947 में भारत में केवल 18 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज निजी और राजकीय कुल मिलाकर 200 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। यह सभी तथ्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन का संकेत करते हैं। ई–गवर्नेंस/गुड गवर्नेंस, सूचना का अधिकार और अनेक निजी और सरकारी कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को दी गई टोल फ्री सेवाएं निःसन्देह रूप से नागरिकों को सशक्त बनाती हैं। पिछले दिनों 'नागरिक समाज' का जिस प्रकार से उभार हुआ, वह भी ज्ञान आधारित समाज की दिशा में भारत के आगे बढ़ने का संकेत देता है। जनहित याचिकाओं ने भी जिस प्रकार अपना उद्‌भव एवं विकास किया है, वह भी ज्ञान आधारित समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का परिचायक है। इसी प्रकार सब्सिडी के सीधे ट्रान्सफर की योजना से भी बिचौलियों का सफाया हुआ और सरकार व जनता के बीच प्रत्यक्ष संवाद–सहायता की स्थिति बनी। सरकारी सेवाओं में ऑनलाइन आवेदन करना, सभी सरकारी विभागों में सिटिजन चार्टर का निर्माण करना, जमीन के सारे रिकार्ड, जाति, निवास एवं आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों आदि का इण्टरनेट के द्वारा वितरण और कौशल विकास मिशन जैसे तथ्यों ने आज तकनीक को आम आदमी के सन्निकट पहुँचा दिया है और इससे एक सामाजिक रूपान्तरण भी हुआ है।

यह सही है कि 1991 के बाद उदारीकरण की प्रक्रिया ने ज्ञान आधारित समाज की दिशा में जाने के लिए न केवल भारत सरकार को बाध्य किया, वरन् सामान्य जनमानस भी इस दिशा में सोचने लगा है। अब तो उद्योग जगत् भी 'कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी' के अन्तर्गत अनेक सामाजिक परियोजनाओं का संचालन करने लगा है। आज सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों एवं सामुदायिक गैर परम्परागत ऊर्जा केन्द्रों के रूप में अनेक निजी उद्यमी कार्य कर रहे हैं और लोगों के जीवन को समुन्नत बना रहे हैं। आज कृषि क्षेत्र में भी 'नॉलेज एग्रीकल्चर' की बात होने लगी है और 'फिक्की' जैसे संगठन इसमें रुचि दिखा रहे हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य है, जो पहले कभी नहीं था। ज्ञान आधारित समाज आज पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति भी संवेदनशील हुआ है, गैर परम्परागत उर्जा के क्षेत्रों में बढ़ते नव–प्रवर्तनों एवं उनका क्रियान्वयन, हरित कानूनों के क्रियान्वयन का प्रारम्भ, हरित न्यायालयों की स्थापना और अब जी०डी०पी० के स्थान पर 'कुल हरित उत्पाद', 'कार्बन टैक्स' तथा 'टोबिन टैक्स' जैसी अवधारणाओं का विकास इसका प्रमाण है। आज मानवाधिकारों के प्रति चेतना बढ़ी है और इसके उल्लंघन की प्रायः समाचार–पत्रों में आ रही घटनाओं को उनके प्रति जागरूकता से जोड़कर देखने की आवश्यकता है। न्यायालयों में दायर जनहित याचिकाओं की संख्या में हो रही वृद्धि, सोशल मिडिया का बढता हुआ दायरा, निर्वाचन के समय 'नोटा' की माँग और निर्वाचन के बाद जनप्रतिनिधियों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के विरूद्ध उन्हें वापस बुलाने की माँग यह बता रही है कि, राजनीतिक व्यवस्था को अब हर स्तर पर जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनना पड़ेगा।

उपरोक्त विवेचन का तात्पर्य यह नहीं है कि भारत विकासशील से विकसित देश हो चुका है, वरन् यह है कि एक सशक्त परिवर्तन के पथ पर भारत का समाज समग्रता के साथ आगे बढ़ चुका है। यद्यपि अभी भी कुछ विद्रुपताएं समाज में दिखाई देती हैं, जैसे– किसानों की आत्महत्याएं, ग्लोबल हंगर इण्डेक्स एवं मानव विकास सूचकांक में भारत का निम्न स्थान या ट्रांसपरेन्सी इण्टरनेशनल के रिकार्ड के अनुसार भ्रष्टाचार से प्रभावित देशों में भारत का ऊँचा स्थान, समाज के सभी वर्गों के बीच व्याप्त डिजिटल डिवाइड, मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण का अभाव, बढता हुआ कट्टरपंथ, आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में स्वतंत्रता के सत्तर वर्ष बाद भी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की कमी आदि। लेकिन इन सभी तथ्यों को पारम्परिक सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाय या इन समस्याओं को 1950–51 से भारत गणतन्त्र की विकास यात्रा की अल्पावधि के साथ रखकर देखा जाय, तो निश्चित रूप से एक आशावादी चित्र उभरता है, जो भारत के भविष्य की सुखद अनुभूति दे रहा है।

सन्दर्भ

मनुस्मृति

पॉलिटिक्स

टॉफलर, एल्विन,(1980) *'द थर्ड वेव'*, अमेरिका,

ड्रकर, पीटर, (1969) *'द एज ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी–गाइडलाइन्स टू ऑवर चेंजिंग सोसाइटी'*, हॉर्पर एण्ड रो, न्यूयार्क

यूनेस्को वर्ल्ड रिपोर्ट, 2005, 'टूवर्ड्स नॉलेज सोसाइटी'

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, 2001